

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 सितम्बर 2014—आश्विन 2, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2014

क्र. एफ 2-01-2013-बाईस-पं. 2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार “मध्यप्रदेश राजपत्र” दिनांक 7 अगस्त 2014 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो इसके पश्चात् “पात्रता परीक्षा” के नाम से निर्दिष्ट है संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए विहित किए गए अनुसार संचालित की जाएगी. यह पात्रता परीक्षा सरकार द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी. पात्रता परीक्षा की वैद्यता परिणाम की घोषणा होने के पश्चात् दो वर्ष के लिए या अगली पात्रता परीक्षा आयोजित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी.”

2. यह संशोधन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2014

क्र. एफ 2-01-2013-बाईस-पं. 2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2-01-2013-बाईस-पं. 2, दिनांक 24 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th September 2014

No. F. 2-01-2013-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby makes the following amendment in Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005 the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 7th August 2014 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) ‘Samvida Shala Shikshak Eligibility Examination’, hereinafter referred to as ‘Eligibility Examination’, as prescribed shall be conducted for the employment of Samvida Shala Shikshak. The eligibility examination shall be conducted by an agency prescribed by the Government. The validity of the eligibility examination shall be for two years after declaration of result or next eligibility examination to be held which will be earlier”.

2. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BRAJESH KUMAR , Addl. Secy.